



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 15 मई, 2025 / 25 वैशाख, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 मई, 2025

संख्या: एफ.एफ.ई.—बी—एफ.004 / 1 / 2025—वन—बी.—हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतीत होता है कि दृश्य भूमियों, वनस्पतियों और प्राणियों तथा उसमें प्राकृतिक वास के संरक्षण के कारण तथा इस क्षेत्र किब्बर 32—राजपत्र / 2025—15—05—2025 (1897)

वन्यजीव अभ्यारण्य और चन्द्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक कड़ी होने के कारण, निम्नलिखित क्षेत्रों को जिनमें वन्य जीवों तथा इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार और विकास के प्रयोजन हेतु एक संरक्षण रिजर्व के रूप में गठित किए जाने की आवश्यकता है।

अब, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 36 क (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति में निम्नलिखित क्षेत्रों को त्सराप चू संरक्षण रिजर्व के रूप में गठित करने की घोषणा करते हैं:—

सीमा:—

उत्तर: सीमा युनम नदी और छरप के संगम से प्रारम्भ होते हुए, यह नदी 4173 मीटर की ऊंचाई पर $32^{\circ} 56' 34.37$ उत्तर और $77^{\circ} 35' 56.48$ पूर्व पर स्थित है और दक्षिण में छारप नाला और उत्तर में त्सराप चू के जलग्रहण क्षेत्र को अलग करने वाली रिज के साथ 5405 मीटर की ऊंचाई तक चलती है और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच राज्य की सीमा का भी अनुसरण करती है और फिर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की राज्य सीमा के साथ आगे बढ़ती है, जो उत्तर में तोजे लुंगपा के जलग्रहण क्षेत्र और दक्षिण में छारप नाला के बीच एक रिज है। 5778 मीटर की ऊंचाई तक, और फिर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच राज्य की सीमा के साथ 5743 मीटर की ऊंचाई तक आगे बढ़ता है। यह आगे हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच राज्य की सीमा के साथ 5904 मीटर की ऊंचाई तक आगे बढ़ता है, यानि उत्तर और दक्षिण में क्रमशः तोजे लुंगपा और थिंगलुग नाला के जलग्रहण क्षेत्र को अलग करने वाली एक रिज, पूर्व की ओर और फिर सुदूर पूर्व में 5822 मीटर की ऊंचाई तक हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राज्य सीमा के साथ आगे बढ़ता है।

पूर्व: पूर्व में 5822 मीटर की ऊंचाई से सीमा हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अंतर-राज्यीय सीमा के साथ पौंगपो ला (5305 मीटर की ऊंचाई) तक चलती है और फिर 5818 मीटर की ऊंचाई तक रिज के साथ चलती है, जहां यह अंतर-राज्यीय सीमा को छोड़ देती है और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ अपनी सीमा सांझा करती है और फिर किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ रिज के माध्यम से मांलुग नाला और लुंगर लुंगा के नाला के संगम तक चलती है और आगे किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ लुंगर लुंगा नाला के साथ 4910 मीटर की ऊंचाई से लुंगर लुंगा के शीर्ष तक चलती है और फिर 5180 मीटर की ऊंचाई तक रिज का अनुसरण करती है और फिर 5681 मीटर की ऊंचाई तक रिज का अनुसरण करती है और फिर 4849 मीटर की ऊंचाई से गुजरते हुए रिज का अनुसरण करती है। 4645 मीटर और 4524 मीटर की दूरी पर जहां यह कब्जिमा नाले से मिलती है और फिर कब्जिमा नाले के साथ नीचे की ओर 4200 मीटर की ऊंचाई पर एक नाले के साथ संगम तक बहती है।

दक्षिण: 4200 मीटर की ऊंचाई तक कब्जिमा नाला ओर एक नाले के संगम से, सीमा नाले के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर ऊपर की ओर 5600 मीटर की ऊंचाई पर रिज पर इसके उद्गम तक चलती है और फिर 5851 मीटर की ऊंचाई तक रिज का अनुसरण करती है और फिर 5400 मीटर की ऊंचाई पर रिज पर नाले के उद्गम तक रिज का अनुसरण करती है और फिर 4261 मीटर की ऊंचाई पर पिंगलुंग तोपको नाले के साथ इसके संगम तक नीचे की ओर चलती है। फिर यह 4165 मीटर की ऊंचाई तक पिंगलुंग तोपको नाले के साथ नीचे की ओर चलती है। 4165 मीटर की ऊंचाई से, सीमा नाले के साथ ऊपर की ओर चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा और चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर पूर्व में लाहौल और स्पीति की उप-मंडल सीमा की ओर चलती है। पुनः यह जिला लाहौल एवं स्पीति की उपमण्डलीय सीमा और चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ 5190 मीटर, 5501 मीटर और 5638 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से आगे बढ़ती है जो चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर-पूर्वी कोने को दर्शाने वाले नाले का शीर्ष है और 5638 मीटर की ऊंचाई से सीमा पश्चिम में आगे बढ़ती है और चंद्रा नदी के साथ इसके संगम तक नाले की नीचे की ओर जाती है और फिर यह नदी पश्चिम में बारालाचा में 4829 मीटर $32^{\circ} 45' 50.26''$ उत्तर और $77^{\circ} 25' 27.63''$ ई की ऊंचाई पर स्थित चंद्रा नदी के ऊपर की ओर बहती है।

पश्चिम: यह सीमा 4850 मीटर की ऊंचाई पर बारालाचा ला से शुरू होती है और युनम नदी के बहाव के साथ-साथ चोर्टेन में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अंतर-राज्यीय सीमा तक जाती है, फिर उत्तर में 4173 मीटर की ऊंचाई तक अंतर-राज्यीय सीमा के साथ-साथ चलती है।

सीमा विस्तार:—

उत्तर:— $32^{\circ} 59' 19.25''$ उत्तर $77^{\circ} 40' 59.06''$ पूर्व
 पूर्व:— $32^{\circ} 45' 16.21''$ उत्तर $77^{\circ} 55' 05.80''$ पूर्व
 दक्षिण:— $32^{\circ} 28' 18.88''$ उत्तर $77^{\circ} 38' 36.70''$ पूर्व
 पश्चिम:— $32^{\circ} 45' 50.26''$ उत्तर $77^{\circ} 25' 27.63''$ पूर्व

क्षेत्र:— 1585 वर्ग किलोमीटर (लगभग)

आदेश द्वारा,
 हस्ताक्षरित /—
 (कमलेश कुमार पंत),
 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F004/1/2025-FOREST-B, dated 07-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 7th May, 2025

No. FFE-B-F004/1/2025-FOREST-B.—Whereas it appears to the Government of Himachal Pradesh that the following area, by reasons of protection of landscapes, flora and fauna and habitat therein and the area being a link between protected areas of Kibber Wildlife Sanctuary and Chandertal wildlife sanctuary, needs to be constituted as a Conservation Reserve for the purpose of protecting, propagation and development of Wildlife therein and its environment.

Now, therefore, in exercise of the power vested in him under section 36A (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Governor Himachal Pradesh is pleased to declare the following areas as Tsarapchu Conservation Reserve, in Lahaul and Spiti of Himachal Pradesh.

Boundary:—

North: Boundary starts from the confluence of Yunam river and Chharap nalla at an elevation of 4173 Mtrs., $32^{\circ}56' 34.37''$ N and $77^{\circ}35' 56.48''$ E and follows the ridge separating the watershed of Chharap Nalla in the South and Tsarap chu in the North upto an elevation of 5405 Mtrs. and also follows the state boundary between Himachal Pradesh and UT Ladakh and again moves along the state boundary of Ladakh and Himachal Pradesh, which is a ridge between watershed of Toze Lungpa in North and Chharap nalla in the South, upto the height of 5778 Mtrs., and then follows the state boundary between H.P. and Ladakh upto a height of 5743 Mtrs. It further moves along the state boundary between Himachal Pradesh and UT Ladakh upto an elevation of 5904 Mtrs., i.e. a ridge separating the watershed of Toze Lungpa and Thinglung Nalla in the North

and South respectively, towards East and then moves along the state boundary of Himachal Pradesh and UT Ladakh upto an elevation of 5822 Mtrs. in the extreme East.

East: From an elevation of 5822 Mtrs. in the East boundary move along the inter-state boundary of Himachal Pradesh and UT Ladakh upto Pongpo La (Elevation of 5305 Mtrs.) and then moves along the ridge upto an elevation of 5818 Mtrs. where it leaves the inter-state boundary and shares its boundary with Kibber Wildlife Sanctuary and then moves along the Kibber wildlife Sanctuary's boundary through ridge up to the confluence of Malung nalla and Lungar Lumpa nalla and further moves along boundary of Kibber Wildlife Sanctuary along Lungar Lumpa nalla upstream through an elevation of 4910 Mtrs. upto the top of Lungar Lumpa and then follows the ridge up to an elevation of 5180 Mtrs. and then follows ridge upto elevation of 5681 Mtrs. and then follows the ridge passing through elevations of 4849 Mtrs., 4645Mtrs. and 4524 Mtrs. where it meets Kabjima Nalla and then follows the Kabjima Nalla downstream upto its confluence with a Nalla at an elevation of 4200 Mtrs.

South: From the confluence of Kabzima Nalla and a Nalla at an elevation of 4200 Mtrs., boundary moves to North-West up-stream along the nalla upto its origin on the ridge at an elevation of 5600 Mtrs. and then follows the ridge up to an elevation of 5851 Mtrs. and then follows the ridge up to origin of a nalla on the ridge at an elevation of 5400 Mtrs. and then follows it down stream up to its confluence with Pingulung Topko nalla at an elevation of 4261 Mtrs. Then it follows the Pingulung Topko nalla down-stream upto an elevation of 4165 Mtrs. From 4165 Mtrs. elevation, the boundary follows the nalla up-stream towards the boundary of Chandratat Wildlife Sanctuary and Sub-Divisional boundary of Lahaul and Spiti in the North East of Chandratat Wildlife sanctuary. Again moves along the Sub-Divisional boundary of District Lahaul & Spiti and North Eastern boundary of Chandertal Wildlife Sanctuary through elevations of height 5190 Mtrs., 5501 Mtrs. and upto 5638 Mtrs. which is the top of nalla depicting the North-Eastern corner of Chandertal Wildlife Sanctuary and from 5638 Mtrs. elevation, the boundary moves in the West and follows the nalla down stream upto its confluence with Chandra river and then follows the Chandra river up-stream upto its top at Baralacha in the West at an elevation of 4829 Mtrs. 32°45'50.26" N and 77°25'27.63" E.

West: The boundary starts from Baralacha La at an elevation of 4850 Mtrs. and follows the river Yunam down-stream upto the inter-state boundary of Himachal Pradesh and UT Ladakh at Chorten, then follows the inter-state boundary upto an elevation of 4173 Mtrs. in the North.

Boundary extent:—

North:— 32°59' 19.25" N, 77°40'59.06" E

East: — 32°45' 16.21" N, 77°55'5.80" E

South: — 32°28' 18.88" N, 77°38'36.70" E

West: — 32°45' 50.26" N, 77°25'27.63" E

Area:— 1585Sq. Km. (Approx)

By order,

Sd/-

(KAMLESH KUMAR PANT, IAS),
Additional Chief Secretary (Forest).

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 2025

File No. MPP-F(10)32/2025.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute Domain Change Committee as per provisions contained in Clauses No. 4.1.1.1 (A) (xxii) and 4.1.2.1 (C) (xxix) in Chapter-IV, of Swaran Jayanti Energy Policy, 2021 as under:—

Sl. No.	Designation	Member
1.	Administrative Secretary (Power)	<i>Chairperson</i>
2.	Director (Energy), DoE	<i>Member</i>
3.	Managing Director, HPSEBL	<i>Member</i>
4.	Chief Executive Officer, Himurja	<i>Member</i>
5.	Chief Engineer (Energy)/Head(Allotment Cell), Directorate of Energy.	<i>Member Secretary</i>

By order

Sd/-

(RAKESH KANWAR, I.A.S.),
Secretary (Power).

MULTI PURPOSE PROJECTS & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd September, 2024

No. MPP-A(3)-1/2017-I.—In supersession of Government notification No. MPP-A(4)-5/91 dated 15th October, 1992 and in exercise of the powers conferred under section 53 (f) of the Electricity Act, 2003 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make following order to regulate the levy of fees for initial or periodic inspection and testing of electrical installations and generally for the services provided by the Chief Electrical Inspector to the Government of Himachal Pradesh under the Act *ibid* and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Levy of Fees for Inspection and Testing Order, 2024.

(2) It shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this order, the terms and expression used shall have same meaning as they have in the Electricity Act, 2003 and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 except that for the purpose of this order:—

- (a) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (b) “Chief Electrical Inspector” means an Electrical Inspector appointed under section 162 of the Act;
- (c) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (d) “initial” with reference to the inspection, examination or test of any electrical installation or apparatus shall mean the first inspection carried out by the Chief Electrical Inspector or any Officer appointed to assist him, before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months or more as specified under regulation 45 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 and shall include the first inspection, examination or test necessitated in the existing installation except these carried out under the instructions of the Chief Electrical Inspector or his authorized representative with the sole purpose of rectifying a defective installation already inspected by the said inspector or his authorized representative;
- (e) “Owner” means a licensee and shall include an occupier of any building, place, carriage or vessel in which energy is, or is about to generated, received or used;
- (f) “periodic” with reference to the inspection, examination or test of any electrical installation or apparatus shall mean the inspection or test carried out in pursuance of regulation 32 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 once in every five years; and
- (g) “Government Treasury” means a Treasury or a Sub-Treasury of the Government;

3. Fees.—The fee shall be levied for inspecting and testing (including periodic inspections) and generally for the services of Chief Electrical Inspector or any other officer appointed to assist him under the Electricity Act, 2003 and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time and shall be realized from the persons and in accordance with the scales specified in the “SCHEDULE OF FEES” annexed to this order subject to the following conditions:—

- (i) In the case of an extension or alteration of the installation or in the opinion, which will be recorded in writing, of the Chief Electrical Inspector necessitated by breach of any of the provisions of the Act or of the regulations made thereunder or by the neglect or failure of the licensee or owner to carry out within stipulated time, any written order of Chief Electrical Inspector or any other officer appointed to assist him, fee will be equal to fee prescribed.
- (ii) The fee for subsequent inspection or test of an installation is necessitated as a result of detection of defects during initial or any other inspection will be equal to fee prescribed.

4. Payment of fee and other charges:

- (1) The fee payable under this order shall be paid in the Government treasury in advance under head of account prescribed by the State Government:

Head of Account:—DDO Code- 077 for Capital Treasury Shimla
 950-for other than Capital Treasury
 0043-Taxes and Duties on Electricity
 102- Receipt under the Indian Electricity rule
 01-Inspection fee

- (2) The fee shall be paid by the owner of the installation excluding non-commercial department of the State Government except where provided otherwise.

5. Repeal and Saving:

- (1) The Himachal Pradesh Levy of Fees for Testing and Inspection Orders, 1992 issued *vide* Notification No. MPP-A(4)-5/91 dated 15-10-1992 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the order so repealed shall be deemed to have been validity done, or taken under the corresponding provisions of these rules.

6. Miscellaneous.—For an inspection, examination or test not provided for in any of the foregoing scale the Chief Electrical Inspector may impose such other fees as he may consider reasonable and proper in the circumstances.

N.B.—(1) In cases where fee have already been deposited at the existing rates prior to publication of this notification no additional fee, if any shall be chargeable even if the inspection is carried out subsequent to this notification.

(2) For the purpose of section 53(f) of the Electricity Act, 2003, all the electrical installations which have not been inspected earlier but have been energized shall be considered as new installation.

“SCHEDULE OF FEES”

Scale-A		
Sl. No.	Connected Load of installation	Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)
1.	≤ 5 KW	300/-
2.	>5 to 20 KW	600/-
3.	>20 to 50 KW	750/-
4.	>50 to 100 KW	900/-
5.	>100 to 400 KW	1500/-
6.	>400 to 750 KW	2400/-
7.	>750 to 1000 KW	3000/-
8.	>1000 KW	4500/-
Scale-B		
Sl. No.	Rating of Generating Set	Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)
1.	≤ 5 KW	300/-
2.	>5 to 20 KW	600/-
3.	>20 to 50 KW	750/-
4.	>50 to 100 KW	900/-

5.	>100 to 400 KW	1500/-
6.	>400 to 750 KW	2400/-
7.	>750 to 1000 KW	3000/-
8.	>1000 KW	4500/-
Scale-C		
	a) Transformers (pressure not exceeding 33000 volts)	
Sl. No.	Transformers	Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)
1.	≤ 25 KVA	900/-
2.	>25 to 100 KVA	1200/-
3.	>100 to 250 KVA	1500/-
4.	>250 to 750 KVA	2400/-
5.	>750 to 1000 KVA	3000/-
6.	>1000 KVA	4500/-
7.	Oil Circuit Breaker (OCB)/ Air Circuit Breaker (ACB) etc. (Other equipments) for rating 11KV/ 22 KV/33 KV.	1200/-
8.	Extension of Switchyard	1200/-
	b) Transformers {pressure of more than 33000 volts (Extra High Tension installations).	
Sl. No.	Transformers	Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)
1.	Oil Circuit Breaker (OCB)/ Air Circuit Breaker (ACB) etc. (Other equipments) for rating 66KV/132 KV & above.	1500/-
2.	≤ 5000 KVA	6000/-
3.	For additional 5000 KVA and part thereof.	1200/-
4.	Extension of Switchyard	1500/-
Scale-D		
1.	A high voltage service connection	800/-
2.	A medium voltage service connection	500/-
3.	A low voltage service connection	400/-
Scale-E		
Sl. No.	Length	Inspection fee (in rupees)
	a) For initial or periodical inspection or examination of aerial line or under ground cable up to and including 33000 volts.	
1.	≤ 1KM	600/-
2.	Every additional 1KM	150/-

3.	Every alteration or replacement in line	900/-
b) For initial or periodical inspection or examination of aerial line or under ground cable upto the exceeding 33000 volts		
1.	≤ 1KM	900/-
2.	Every additional 1KM	300/-
Scale-F		
Electric traction system, trolley wires and overhead diem of 8 overhead equipment and test of bonding hours and / or leakage currents		
1.	Per electric traction system, trolley wires.	900/-
Scale-G		
Sl. No.	Type of inspection	Inspection fee (in rupees)
1.	For an inspection, examination or test of any main, distributing mains or service line for the existence of electrolysis or other injury to any water gas or to any appliance connected herewith.	300/- for first hour or part and thereafter 150/- per hour or part thereof plus other pipe or cost of transportation.
Scale-H		
Sl. No.	Type of inspection	Inspection fee (in rupees)
1.	For testing of installation for leakage to earth.	150/- per hour subject to maximum of 600/- plus cost of transportation.
Scale-I		
Sl. No.	Type of inspection	Inspection fee (in rupees)
1.	For localizing the leakage to earth in any installations.	150/- per hour subject to maximum of 60/- plus cost of transportation.
2.	For others	450/-

By order,
Sd/-
(RAKESH KANWAR, I.A.S.),
Secretary (Power).

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th May, 2025

No. Home-B-E(3)20/2006-II/(eOffice No. 137923).—The Governor, Himachal Pradesh in pursuance to orders dated 18-02-2025 passed in Contempt Petition(Civil) No. 425-426/2015 in Writ Petition(Civil) No. 523/2002-titled as Justice VS Dave, President the association of Retired

Judges of Supreme Court and High Courts *Vs* Kusumjit Sidhu and Ors and in supersession to this department notification No. Home-B-E(3)20/2006-II, dated 21-03-2023, is pleased to enhance the lump sum amount, admissible per month to the Chief Justices and Judges who have retired from the High Court of Himachal Pradesh for defraying the expenses of orderly, driver, security and secretarial assistances etc., from the existing Rs. 40,000/- per month and Rs. 35,000/- per month, to Rs. 50,000/-per month and Rs. 45,000/- per month, respectively.

2. The Governor Himachal Pradesh is further pleased to enhance the additional amount of Rs. 1500/- per month for defraying the Cell phone/landline expenses to Rs. 15,000/- per month.

3. The aforesaid amount(s) shall be payable to the spouse in the event of death of the retired Chief Justice/Judge at same rate(s).

4. The aforesaid amount(s) of domestic help and Cell phone/landline expenses shall be increased by 5% every one year.

5. This would be admissible with effect from the date of issuance of the notification

By order,

Addl. Chief Secretary (Home).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 7 / 2025

आगामी पेशी : 24-04-2025

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री चुनी लाल, निवासी गांव बनैहणी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री चुनी लाल, निवासी गांव बनैहणी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र आदित्य ठाकुर की जन्म तिथि 01-01-2024 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपने पुत्र आदित्य ठाकुर की जन्म तिथि 01-01-2024 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र आदित्य ठाकुर की जन्म तिथि 01-01-2024 दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पुत्र आदित्य ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-04-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी के पुत्र आदित्य ठाकुर की जन्म तिथि 01-01-2024 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 8/2025

आगामी पेशी : 26-04-2025

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी गांव सेरी, डाकघर धाउगी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री जीत राम, निवासी गांव सेरी, डाकघर धाउगी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी बेटी स्नेहा ठाकुर की जन्म तिथि 06-01-2005 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी बेटी स्नेहा ठाकुर की जन्म तिथि 06-01-2005 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी बेटी की जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की बेटी स्नेहा ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 26-04-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैज में उक्त प्रार्थिया की बेटी स्नेहा ठाकुर की जन्म तिथि 06-01-2005 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 11/2025

आगामी पेशी : 13-05-2025

श्रीमती टिकमू देवी पुत्री श्री ओत राम, निवासी गांव कछैणी, डाकघर कनौन, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती टिकमू देवी पुत्री श्री ओत राम, निवासी गांव कछैणी, डाकघर कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-03-1964 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 10-03-1964 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 13-05-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-03-1964 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10/2025

आगामी पेशी : 19-05-2025

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव व डाकघर मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव व डाकघर मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 27-12-1983 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 27-12-1983 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है, उसकी जन्म तिथि 27-12-1983 दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19-05-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर

प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 27-12-1983 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 9/2025

आगामी पेशी : 19-05-2025

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री सोम प्रकाश, निवासी गांव थनियाली, डाकघर बनोगी हाल पत्नी कृष्ण चन्द, निवासी गांव व डाकघर मझाण, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री सोम प्रकाश, निवासी गांव थनियाली, डाकघर बनोगी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 27-09-1985 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनोगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 27-09-1985 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनोगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19-05-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बनोगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-09-1985 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैज, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 8/2025

आगामी पेशी : 01-05-2025

श्री कृष्ण चन्द पुत्र खीमी राम पुत्र चिट्ठू, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री कृष्ण चन्द पुत्र खीमी राम पुत्र चिट्ठू, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला में निमत राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम कृष्ण चन्द पुत्र खीमी राम दर्ज है। जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि निमत राम व कृष्ण चन्द दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में अपना नाम निमत राम के बजाये निमत राम उर्फ कृष्ण चन्द दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-05-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला, तहसील सैज में उक्त प्रार्थी का नाम निमत राम उर्फ कृष्ण चन्द पुत्र खीमी राम पुत्र चिट्ठू दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैज, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि०प्र०)

श्री सुरेन्द्र पाल सुपुत्र श्री बालम राम, निवासी लूणीजोल रोपड़ी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुरेन्द्र पाल है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत परसदा

हवाणी के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल लूणी जोल व हवाणी में गलती से सुरेन्द्र दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती अल्पना देवी सुपुत्री श्री कुलदीप, निवासी हरलोट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अल्पना देवी है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बसन्तपुर के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल हरलोट में गलती से अर्पणा देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती निमो देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी रसेहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पति का सही नाम प्रेम सिंह है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत मसेरण के रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भटोह फकरेड व बाल्हड़ा छेक में गलती से प्रेम सुख दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती चंचला देवी सुपुत्री श्री मोहन लाल, निवासी मसला, डा0 सधोट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 15-12-1966 है, जोकि ग्राम पंचायत सधोट के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत सधोट के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

नाम परिवर्तन

मैं, किरणा कुमारी पत्नी जितेंद्र कुमार, निवासी चांबी, डा0 पधीयू, तहसील सदर मंडी, जिला मंडी (हि0प्र0) घोषणा करती हूँ की मेरे आधार नं0 251175643766 मेरा नाम किरण कुमारी दर्ज है। मैंने अपना नाम किरण कुमारी से बदलकर किरणा कुमारी रख लिया है। संबंधित नोट करें।

किरणा कुमारी
पत्नी जितेंद्र कुमार,
निवासी चांबी, डा0 पधीयू,
तहसील सदर मंडी, जिला मंडी (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Kumar Virender Kaushal aged 43 years s/o Sh. Trilok Singh Kaushal, r/o Village Jalari, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.). Oath as under, that my wife name has been wrongly entered in my son namely Dhairya Kaushal birth certificate as Anjali Kaushal instead of Anjali Thakur. Anjali Thakur is correct name as per Aadhar Card and Driving Licence.

KUMAR VIRENDER KAUAHAL
s/o Sh. Trilok Singh Kaushal,
r/o Village Jalari, P.O. Jalari,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumar Virender Kaushal aged 43 years s/o Sh. Trilok Singh Kaushal, r/o Village Jalari, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.). Oath as under, that my wife name has been wrongly entered in my son namely Andavan Kaushal birth certificate as Anjali Kaushal instead of Anjali Thakur. Anjali Thakur is correct name as per Aadhar Card and driving Licence.

KUMAR VIRENDER KAUAHAL
s/o Sh. Trilok Singh Kaushal,
r/o Village Jalari, P.O. Jalari,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bhajnu s/o Late Sh. Manga, r/o Village Khur, P.O. Jarag, Tehsil Dadahu, District Sirmour (H.P.). has changed my name from Bhajan Singh (Old Name) to Bhajnu (New Name) and also declared that the correct name of my father is Late Shri Manga instead of Nanda. Which needs to be corrected in my Aadhar Card.

BHAJNU
s/o Late Sh. Manga,
r/o Village Khur, P.O. Jarag,
Tehsil Dadahu, District Sirmour (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamla Kumari w/o Sh. Santosh Kumar, r/o Sharma Niwas, Sunny Side, Ward No. 12, Solan (H.P.) have changed her minor son name from Gurbaaz Gerwal to Madhav Kumar.

KAMLA KUMARI
w/o Sh. Santosh Kumar,
r/o Sharma Niwas,
Sunny Side, Ward No. 12, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Moti Ram s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Sidhwan, P.O. Banjar, Village/Muhal Tarangali, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) my minor son's name is wrongly recorded in Aadhar Card No. 7355 3200 1895 as Kavya, change my minor son's name from Kavya to Kavyansh Kumar. Concerned note.

MOTI RAM
s/o Sh. Sher Singh,
r/o Village Sidhwan, P.O. Banjar,
Village/Muhal Tarangali, Tehsil, Banjar, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar s/o Sh. Ram Lal, r/o V.P.O. Karpal, Tehsil Udaipur, District Lahaul & Spiti (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name wrongly entered as Vijay Kumar which is required to be corrected as Pappu. Please correct this.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Ram Lal,
r/o V.P.O. Karpal, Tehsil Udaipur,
District Lahaul & Spiti (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tej Singh s/o Sh. Maghu Ram, r/o Village Daral, P.O. Kholanal, Village/Muhal Koon, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) declare that my name is Tej Ram in my Aadhar Card No. 4369 1395 9991. I have changed my name from Tej Ram to Tej Singh. Concerned please.

TEJ SINGH
s/o Sh. Maghu Ram,
r/o Village Daral, P.O.Kholanal, Village/Muhal Koon,
Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Banka Dei w/o Sh. Surender Singh, r/o buthara, Rohru, Shimla (H.P.) state that my name is wrongly written as Banku Devi in Aadhar. My correct name is Banka Dei. Please correct it.

BANKA DEI
w/o Sh. Surender Singh,
r/o buthara, Rohru, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Krishna Devi w/o Sh. Tula Ram, r/o Village Patoga, P.O. Sarsu, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Krishna Devi to Kamla Devi.

KRISHNA DEVI
w/o Sh. Tula Ram,
r/o Village Patoga, P.O. Sarsu,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Soniya Attri d/o Sh. Padam Singh, r/o Village & P.O. Kotla Bangi, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Soniya Attri to Saniya Attri.

SONIYA ATTRI
d/o Sh. Padam Singh,
r/o Village & P.O. Kotla Bangi,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narender Kumar s/o Sh. Dhani Ram, r/o V.P.O. Sangalwara, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) my minor daughter's name is wrongly recorded in Aadhar Card No. 783843430385 as Chatenya, changed my minor daughter's name from Chatenya to Chetanya. Concerned note.

NARENDER KUMAR
s/o Sh. Dhani Ram,
r/o V.P.O. Sangalwara,
Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.).

